भाग-111

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 मई, 2022

संख्या का॰आ॰ 21/के॰अ॰ 29/2005/धा॰ 25/2022.— प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पिटत उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हिरयाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009, के अधिकमण में, उन बातों के सिवाये जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या लोप किया गया है, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) ये नियम हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2022 कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

परिभाषाएं।

- (क) **"अधिनियम"** से अभिप्राय है, प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29);
- (ख) "अभिकरण" से अभिप्राय है, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण;
- (ग) **"नियंत्रक प्राधिकारी"** का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उसे दिया गया है:
- (घ) **"प्ररूप"** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ङ) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित, शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होगे जो क्रमशः अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।
- 3. (1) प्रत्येक अभिकरण जब अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप I में आवेदन करती है, तब अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप II भी संलग्न करेगा।

अनुज्ञपप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन।

- (2) यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म या व्यक्तियों की कोई संस्था है, तो प्ररूप I में किए गए आवेदन के साथ प्ररूप— II भी कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक मानो वे भी आवेदक थे, की और से लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वह, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में अंतर्वलित उपबंधों के संबंध में ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए, प्ररूप III में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (3) नियंत्रक प्राधिकारी, प्ररूप I, प्ररूप II तथा प्ररूप III की प्राप्ति पर, आवेदन की विषय वस्तु और आवेदक की विशिष्टियों के ब्यौरे के सत्यापन के लिए ऐसी जांच करेगा, जो वह आवश्यक समझे।
- (4) नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के उद्देश्य के लिए अपराध और आपराधिक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर—संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) का उपयोग करेगा ।
- (5) जब कभी किसी आवेदक का पूर्ववृत्त पहले ही किसी अन्य राज्य में सत्यापित कर लिया गया हो और अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर दी गई हो, तब नियंत्रक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नए सिरे से पूर्ववृत्त का सत्यापन करे बशर्ते कि अनुज्ञप्ति, जिसके लिए पूर्ववृत्त सत्यापित किया गया है, वैधता की अविध के भीतर हो ।
- (6) प्ररुप I के साथ, संबंधित राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी, जहां आवेदन किया जा रहा है, को भुगतान योग्य अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन यथा विर्निदिष्ट फीस के संदाय को दर्शाते हुए डि्माण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य लगाया जाएगा।
- (7) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा या पंजीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से उसे भेजा जाएगा।
- (8) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन को उसके द्वारा प्राप्त किए जाने की तिथि, उस पर दर्शाने के पश्चात् आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।

(9) नियंत्रक प्राधिकारी, प्ररूप I में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी वह आवश्यक समझे और उक्त अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना के पश्चात्, प्ररूप IV में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगाः

परंतु यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा पहले ही किसी अन्य राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली गई है, तब अनुज्ञप्तिधारी को प्रशिक्षण लेनें की आवश्यकता नहीं होगी ।

- (10) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य साधन द्वारा अभिकरण द्वारा उपलब्ध करवाए गए पते पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर का सत्यापन करेगा।
- (11) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए आवेदन में यथा उल्लिखित संबंधित राज्य में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के प्रधान कार्यालय को अनुज्ञप्ति की भौतिक प्रति जारी करने के पंद्रह दिन के भीतर डाक द्वारा परिदत्त करवायेगा, जिसे वह प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने कारबार के स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होगा।
- (12) अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की दशा में, अस्वीकृति का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि ,—
 - (क) आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ;
 - (ख) आधार, जिन पर अनुज्ञप्ति को नामंजूर किया गया है, आदेश में उल्लिखित न किए गए हों ।
- (13) नियंत्रक प्राधिकारी, सभी परिपेक्षों से आवेदन के पूर्ण होने की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर प्ररूप I पर आदेश पारित करेगा।

अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने की शर्तें।

- 4. (1) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, यथा विहित, प्राइवेट सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण उसके द्वारा नियत किए गए समय के भीतर सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा ।
- (2) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्य क्रम तैयार करेगा।
- (3) प्रशिक्षण कम से कम छह कार्य दिवस का होगा । प्रशिक्षण में मोटे तौर पर निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात;—
 - (i) वर्तमान सुरक्षा परिदृश्यः
 - (क) वीआईपी सुरक्षा;
 - (ख) आंतरिक सुरक्षा;
 - (ग) संस्थागत सुरक्षा;
 - (ii) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका और कार्य पहित
 - (क) अग्नि शमन्;
 - (ख) आपदा/आपातकालीन प्रबंधन प्रोटोकॉल्;
 - (ग) सुरक्षा कर्तव्यः
 - (घ) विभिन्न दस्तावेजों की जांच्;
 - (ङ) सूचना सुरक्षा;
 - (च) अभिगम नियंत्रण्;
 - (छ) विस्फोटक आई.ई.डीज;
 - (ज) एंटी सबोटेज चेक्स (एएससी);
 - (झ) सुरक्षा संबंधी उपकरण;
 - (ञ) संसूचना उपकरण;
 - (ट) गश्त लगाना्; तथा
 - (ठ) चौकी ड्यूटी;
 - (iii) विधिक उपबंध:
 - (क) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
 - (ख) सुसंगत श्रमिक विधियां;

- (iv) स्रक्षा अभिकरणों का प्रबंधनः
 - (क) वर्दी;
 - (ख) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के कार्मिकों का प्रशिक्षण;
 - (ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दस्तावेजों और रिकॉर्ड का रखा जाना;
 - (घ) डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल;
- (v) जनसाधारण, पुलिस और अन्य विभागों के साथ इंटरफ़ेस:
 - (क) जनसाधारण के साथ इंटरफेस;
 - (ख) पुलिस और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क;
- (vi) प्राइवेट सुरक्षा कार्मिक अनुबन्ध—क में यथा विनिर्दिष्ट क्या करना है और क्या नहीं करना है (आचरण नियम)।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर अभिकरण बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता—पिता का नाम, जन्म की तिथि, स्थायी पता, पत्र व्यवहार के लिए पता और प्रधान वृत्ति को सूचित करेगा ।
- (5) अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के पते में परिवर्तन से सम्बन्धित या प्रबंधन में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित करेगा ।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध या अभिकरण द्वारा नियुक्त या नियोजित प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरूद्ध विरचित किए गए किसी आपराधिक आरोप के बारे में तत्काल सूचना देगा। ऐसी संसूचना की एक प्रति उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजेगा जहाँ व्यक्ति, जिसके विरूद्ध आरोप लगाया गया है, निवास करता है।
- (7) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानकों और इन नियमों में यथाविहित, उनके प्रशिक्षण की शर्त, जिसके अधार पर अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, की अपेक्षाओं का पालन करेगा।
- (8) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी ।
 - (9) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राप्ति के छह मास के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करेगा।
- (10) क्रियाकलापों के आरंभ किए जाने में, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित और नियम 10 के अनुसरण में, कार्यालय परिसर की स्थापना और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सम्मिलत होगी।
- **5.** (1) प्रत्येक अभिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप II और प्ररूप III के साथ प्ररूप I में, उसकी वैधता की अविध के अवसान होने की तिथि से कम से कम पैंतालीस दिन पूर्व और अधिनियम की धारा 8 की अन्य शर्तों का पालन करने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

अनुज्ञप्ति का नवीकरण।

- (2) यदि आवेदक कोई कम्पनी, कोई फर्म या व्यक्तियों की कोई संस्था है, तो प्ररूप I में किए गए आवेदन के साथ प्ररूप II भी कम्पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक मानों वे भी आवेदक थे, के लिए साथ लगाया जाएगा।
- (3) नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के पूर्ववृत्त का उसी रीति में सत्यापन करेगा जैसा कि नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित है।
- (4) नियंत्रक प्राधिकारी प्ररूप I में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना के पश्चात् प्ररूप IV में अनुज्ञप्ति के नवीकरण को अनुदत्त करेगा ।
- (5) उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त न होने की दशा में, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण को अननुज्ञप्त अभिकरण माना जाएगा ।
- (6) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण, अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
- (7) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस वैसी ही होगी, जैसी नियम 3 के उपनियम (6) में अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए यथा उल्लिखित है।
- (8) उपनियम (1) में निर्धारित अवधि के पश्चात् और अनुज्ञप्ति की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए गए आवेदनों पर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कार्यवाही नहीं की जाएगी।

- (9) नियंत्रक प्राधिकारी, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर प्ररूप 1 में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर आवेश पारित करेगा ।
- (10) नवीकृत अनुज्ञप्ति की वैधता, पूर्व अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से गिनी जाएगी और उसके नवीकरण की तिथि पर ध्यान दिए बिना पांच वर्ष की अवधि तक होगी। यदि विद्यमान अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का निर्णय किया जाता है, तो बीच की अवधि वैध अनुज्ञप्ति के अधीन समझी जाएगी।
- (11) नियंत्रक प्राधिकारी और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई देरी के लिए दायी नहीं होंगे, जिसमें सिविल या सैनिक प्राधिकरण के कृत्य, राष्ट्रीय आपात, उपद्रव, दैवीकृत्य तक सीमित नहीं हैं, शामिल हैं।

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्ते।

- 6. अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुदत्त किया जाएगा, अर्थात् :--
 - (i) आवेदक, नियंत्रक प्राधिकारी की अधिकारिता में अपने कारबार के प्रधान स्थान को बनाए रखेगा;
 - (ii) आवेदक अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए इन नियमों के नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता स्निश्चित करना जारी रखेगा;
 - (iii) आवेदक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना जारी रखेगा;
 - (iv) आवेदक का अपराधिक पूर्ववृत्त न हो, जो अपराध और आपराधिक डाटा से सत्यापित किया जा सकता है ।

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन।

- 7. (1) अभिकरण, किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त करने से पहले स्वयं को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीके से ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्तियों के बारे में संतृष्ट करेगा, अर्थात् :--
 - क) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र पर निर्भर होते हुएः

परंतु चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र वैध हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्त्रोत से व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो;

- (ख) नियंत्रक प्राधिकारी या पुलिस के माध्यम से चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए अपराध और आपराधिक इलेक्ट्रॉनिक डाटा के अभिगम द्वारा जैसे अपराध और आपराधिक ट्रेनिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर—संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) ।
- (2) सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त होने के लिए ईच्छुक व्यक्ति, अभिकरण को प्ररूप V दाखिल करेगा। इसके अतिरिक्त, वह अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों से संबंधित ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्ररूप VI में एक शपथपत्र भी दाखिल करेगा।
- (3) राज्य सरकार चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा की गई फीस की स्वीकृति करने की व्यवस्था करेगी ।
- (4) प्राधिकारी, जिसको आवेदन दिया गया है, सुनिश्चित करेगा कि चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट चरित्र और पूर्ववृत प्ररूप की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर जारी की गई हो ।
- (5) एक बार जारी की गई चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट नियोजक की प्रास्थिति में परिवर्तन हो जाने के बावजूद भी पांच वर्ष तक वैध रहेगी ।
- (6) अभिकरण, चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन के आधार पर प्ररूप VII में चरित्र और पूर्ववृत प्रमाणपत्र जारी करेगा और यह प्रमाणपत्र ऐसे अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा भले ही वह व्यक्ति अभिकरण का कर्मचारी न रहे।

सुरक्षा प्रशिक्षण।

- 8. (1) नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के अनुसार सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। प्रारंभिक स्तर के लिए यह प्रशिक्षण न्यूनतम बीस दिन की अविध में दिया जाने वाला न्यूनतम सौ घंटे की कक्षा में शिक्षण तथा साठ घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कार्मिकों को केवल संघनित पाठ्यक्रम, न्यूनतम चालीस घंटे कक्षा में शिक्षण और सोलह घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा जो सात कार्य दिवस में होगा;
 - (2) प्रशिक्षण में निम्न विषय शामिल होंगे ;
 - (क) सार्वजनिक रुप से आचरण और वर्दी को सही ढंग से धारण करना ;
 - (ख) शारीरिक सक्षमता प्रशिक्षण ;

- (ग) शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भवन/अपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा ;
- (घ) अग्निशमन ;
- (ङ) भीड नियंत्रण ;
- (च) पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जांच ;
- (छ) उम्मीदवार को अंग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए, जैसा कि सामान्यतः पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण पत्रक में आते हैं;
- (ज) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान ;
- (झ) प्राथमिक चिकित्सा :
- (ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन ;
- (ट) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र गाड़ियों के ड्राइवर के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक);
- (ठ) अवर्जित आयुधों तथा अग्नेयास्त्र का उठाना-रखना और संचालन (वैकल्पिक) ;
- (ड) भारतीय दंड संहिता का प्रारंभिक ज्ञान, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं), विस्फोटक अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं) ;
- (ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैंक के बैज ;
- (ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान ;
- (त) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का उपयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण) ; और
- (थ) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल पर्यवेक्षकों के लिए) ।
- (3) सुरक्षा गार्ड को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा ।
- (4) प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्ररूप VIII में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा ।
- (5) एक राज्य में प्रशिक्षण संस्थान से गार्ड / पर्यवेक्षक को जारी किया गया प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अन्य राज्य भी स्वीकार करेंगे ।
- (6) नियंत्रक प्राधिकारी, समय—समय पर, स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधा के कृत्यों का निरीक्षण करेगा। सामान्यतः ऐसा निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।
- (7) सभी प्रशिक्षण अभिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी को उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति में सफल प्रशिक्षणार्थियों की एक सूची प्रस्तुत करेंगे।
- (8) प्रशिक्षण पूर्ण होने और रोजगार की अपेक्षा के आधार पर, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण स्वयं अपने को पदाभिहित कर सकेंगे कि कोई भी अभिकरण के सशस्त्र सेना, अर्ध सैनिक बल या राज्य पुलिस बल के किसी रैंक को अंगीकृत नहीं करेगा।
- (9) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राइवेट प्रशिक्षण अभिकरण के प्राइवेट स्रक्षा गार्डों और पर्यवेक्षको को दिए गए प्रशिक्षण और कौशल को सत्यापित करेगा।
- (10) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञप्ति का जारी रखने या अन्यथा से पुनर्विलोकन कर सकता है, जिन्होंने अपनी नामावली पर कार्मिकों के प्रशिक्षण की शर्तों का अनुपालन न किया हो।
- 9. (1) कोई व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त या नियोजित होने के लिए अर्हक होगा यदि वह नीचे दिए गए शारीरिक मानकों को पूरा करता है, अर्थात्:—
 -) कद 160 सेंटीमीटर (महिला 150 सेंटीमीटर), वजन, कद—वजन की मानक सारणी के अनुसार, सीना 80 सेंटीमीटर जो 04 सेंटीमीटर फूलना चाहिए (महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है);
 - (ii) नेत्र दृष्टि -दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्मे अथवा इसके बिना, वर्णांधता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगों को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी अक्षरों तथा प्रदर्श में अरबी के अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए:
 - (iii) संहतजानुक और चिपटा पैर से मुक्त ; छह मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य ;

सुरक्षा गार्डी के लिए शारीरिक मानदंड ।

- (iv) श्रवणः दोष से मुक्त हो; सुनने और बोलने की आवाज का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो;
- (v) अभ्यर्थी तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो ।
- (2) अभ्यर्थी किसी छुआ—छूत की बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो । वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए ।
- (3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास कार्यरत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षा के प्रत्येक बारह मास पश्चात्, उसकी अंतिम ऐसी स्वास्थ्य जांच की जाती है तािक उसके प्रवेश के समय निर्धारित शारीरिक मानदंड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यवेक्षकों के लिए उपबंध।

- 10. (1) पंद्रह से अनिधक प्राइवेट सुरक्षा गार्डी के कार्य का पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक होगा ।
- (2) यदि प्राइवेट सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैं और एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना व्यवहार्य न हो, तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को तैनात करेगा तािक कम से कम प्रत्येक छह सुरक्षा गार्डों की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।

अपील और प्रक्रिया। 11. अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील प्ररूप IX में की जाएगी और उस पर व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसे राज्य सरकार के गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से या इलैक्ट्रानिकी या डिजीटल प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा या पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा ।

अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर।

फोटो पहचान

पत्र ।

12. अधिनियम के अधीन अभिकरण द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में प्ररूप X में रखा जाएगा।

13. (1) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्येक फोटो पहचान पत्र प्ररूप XI में होगा।

- (2) फोटो पहचान पत्र में पूरे चेहरे का रंगीन फोटो, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, अभिकरण का नाम तथा उस व्यष्टि की कर्मचारी संख्या होगी, जिसे फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है ।
- (3) फोटो पहचान पत्र में व्यक्ति की अभिकरण में पद और वह तिथि जिस तक फोटो पहचान पत्र वैध है, स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगी ।
- (4) फोटो पहचान पत्र को अद्यतन रखा जाएगा और विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उसमें दर्ज किया जाएगा ।
- (5) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को जारी फोटो पहचान पत्र को उसे जारी करने वाले अभिकरण को तब लौटा दिया जाएगा जब प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और नियोजन में नहीं रहता है या उसके द्वारा नियोजित नहीं किया जाता है ।
- (6) फोटो पहचान पत्र के गुम हो जाने या चोरी हो जाने की सूचना उस अभिकरण की जानकारी में तुरंत लाई जाएगी, जिसने उसे जारी किया है ।

अन्य शर्ते।

- 14. (1) इस बात के होते हुए भी अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर वर्दी पहनना अनिवार्य करे, या न करे, प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को,—
 - (क) अभिकरण को सुभिन्न करने वाला बाजू पर पहनने वाला बैज ;
 - (ख) संगठन में उसका पद दर्शाने वाला कंधे या वक्ष का बैज :
 - (ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी और जो बॉयीं जेब में रखी जाएगी ;
 - (घ) फीते और सूराख सहित जूते ;
 - (ङ) सिर पर पहनने की टोपी, जिस पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का सुभेदक चिह्न भी हो सकता है.

जारी करेगा और उन्हें पहनना बाध्यकर करेगा ।

- (2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह ड्यूटी पर हो, तो उसके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे, जो उसकी दक्षतापूर्ण पालन में बाधा उत्पन्न न करें । विशेषकर, वे न तो बहुत तंग हों और न ही बहुत ढीले होंगे, जिससे उसकी गतिविधियों या अंगों को मोडने में बाधा हो।
 - (3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट-बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा ।
- (4) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर हो, अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फोटो पहचान पत्र, अपने शरीर पर किसी सहजदृश्य स्थान पर कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।

अनुबन्ध-क

[देखिए नियम 4 (3) (vi)]

प्राईवेट सुरक्षा कार्मिक- क्या करना है और क्या नही करना है (आचरण नियम)

क्या करना है:--

- 1. ड्यूटी के दौरान इस पुस्तिका / पैम्फलेट को अपने पास रखें।
- 2. हमेशा कंपनी / विभाग की नीति और आदेशों का पालन करें।
- 3. अपनी उचित वर्दी पहनें।
- 4. आपकी वर्दी साफ-स्थरी और ठीक से इस्त्री की हुई होनी चाहिए।
- 5. आपके जूते साफ-सुथरे और पॉलिश्ड हाने चाहिए।
- 6. रोजाना शेव करें / दाढ़ी और मूंछें काट कर रखें।
- 7. सुनिश्चित करें कि आपके बाल उचित तरीके से कटे हों।
- यदि आपको वर्दी जारी नहीं की जाती है तो सिविल ड्रेस ठीक से पहनें।
- 9. ड्यूटी के दौरान अपनी वर्दी पर अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करें।
- 10. समय के पाबंद रहें।
- 11. सतर्क और चौकस रहें।
- 12. सभ्य और विनम्र रहें।
- 13. उत्साही बनें।
- 14. सभी ग्राहकों / आगुंतकों का सम्मान करें।
- 15. मेहमानों का अभिवादन करें और उन्हें दोस्ताना तरीके से जवाब दें।
- 16. खुद को स्वस्थ और फिट रखें।
- 17. क्रोधित ग्राहक के साथ शांत रहें।
- 18. महिला ग्राहकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें।
- 19. अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को जानें।
- 20. किसी अप्रत्याशित या आपातकालीन स्थिति के बारे में अपने पर्यवेक्षक / वरिष्ठों को सूचित करें।
- 21. स्निश्चित करें कि आप प्रत्येक पद पर अपने कर्तव्यों / जिम्मदारियों को जानते हैं।
- 22. ड्यूटी बदली उचित प्रकार से की जानी याहिए।
- 23. सहयोगी बनें और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाएं।
- 24. किसी भी आपातकालीन डयूटी के लिए उपलब्ध और लचीले रहें।
- 25. डयूटी के दौरान हर घंटे साधारण स्ट्रैचिंग एक्सरसाइज करें।
- 26. अपने साथी की कार्यात्मक प्रक्रियाओं और प्रक्रिया के बारे में खुद को अपडेट रखें।
- 27. टेलीफोन पर बात करते समय शांत रहें।
- 28. अपने स्थान पर संवेदनशील क्षेत्रों, सुरक्षा खतरों और आपातकालीन निकास से अवगत रहें।
- 29. स्निश्चित करें कि व्यवसायिक घंटों के बाद परिसर स्रक्षित हैं।
- 30. रात की ड्यूटी के लिए अपने साथ टॉर्च लेकर जाएं।
- 31. महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबरों की एक सूची अपने पास रखें।
- 32. किसी आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाईयों से अवगत रहें।
- 33. यदि आवश्यक हो तो आपको पता होना चाहिए कि आगंत्कों की तलाशी और जांच कैसे की जाती है।
- 34. अपने क्षेत्र में कर्मियों और वाहनों की आवाजाही पर नजर रखें।
- 35. वाहनों में छिपने के स्थानों के बारे में जागरूक रहें जिनकी जांच की जानी है।
- 36. अपने उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र में नियमित रूप से पेट्रोलिंग करें।
- 37. स्निश्चित करें कि आपके क्षेत्र में सभी स्रक्षा गैजेट ठीक से काम कर रहे हैं।
- 38. सुरक्षा के किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ को दें।
- 39. सुनिश्चित करें कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आपकी पोस्ट में उपलब्ध है और आपात स्थिति में उपयोग किया जाना है।
- 40. सुनिश्चित करें कि आप अग्निशामक के प्रकार जानते हैं और आपात स्थिति में उनका उपयोग कैसे करें।

क्या नहीं करना है:--

- 1. जब तक आपके पर्यवेक्षक द्वारा या गश्त के लिए अनुमित न दी जाए तब तक अपना पद न छोडें ।
- 2. बिना अनुमति के किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को परिसर में प्रवेश न करने दें।
- 3. शराब / नशीले पदार्थों के प्रभाव में काम पर न आएं।
- 4. ड्यूटी के दौरान धूम्रपान न करें।
- ड्यूटी के दौरान गम या तंबाकू न चबाएं।
- 6. ड्यूटी पर न सोएं।
- 7. ड्यूटी के दौरान अनावश्यक बातचीत में शमिल न हों।
- 8. बिना अनुमति के छुट्टी न लें।
- 9. ग्राहकों के साथ न ही बहस करें और न ही चिल्लाएें।
- 10. ड्यूटी पर रहते हुए गैर जरूरी या गौण मामलों में व्यस्त न हों
- 11. अफवाह फैलाने वालों में शामिल न हों।
- 12. व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी की संपत्ति या सेवाओं का उपयोग न करें।
- 13. गार्ड पोस्ट में अपने दोस्तों / रिस्तेदारों का आतिथ्य न करें।

प्ररूप I

[देखिए नियम 3 तथा 5]

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने / अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए आवेदन सेवा में,

नियं	त्रक प्रार्ग	धेकारी,
	हस्ताक्ष	री, इसके द्वारा, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में सेवा करने का कारबार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त
के लिए	आवेदन	। करता है
आवेदव	म का प्	र्रा नामः
आवेदव	म की र	गष्ट्रीयताः
पुत्र / प	ग्रत्नी / पृ	ुत्र <u>ः</u>
निवास	स्थान	का पताः
पता, र	नहां आ	वेदक अपना अभिकरण आरंभ करने की इच्छा करता है:
प्राइवेट	सुरक्षा	अभिकरण का नामः
प्राइवेट	सुरक्षा	अभिकरण के अतिरिक्त ब्यौरे (यदि लागू हों):
(ক)	सीआइ	्रिंग संख्याः
(ख)	ईएसअ	गई संख्याः
(ग)	ईपीएप	रु संख्याः
(ঘ)	श्रम अ	नुज्ञप्ति संख्याः
(ভ)	श्रम पं	जीकरण संख्याः
(च)	जीएस	टी संख्याः
(छ)	कोई उ	अन्य सूचनाः
(ज)	क्या ३	 भिकरण के पास एफडीआई है (हां / नहीं): यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें:
, ,		एफडीआई का देश :
	.,	विदेशी शेयर धारक का नाम :
	` ,	विदेशी शेयर धारक का पता :
	` ,	निवेश का वर्ष :
		शेयरों की संख्या :
	आवोदव अवोदव आवेदव पुत्र / प निवास पता, र प्राइवेट (क) (ख) (ग) (इ)	अद्योहस्ताक्षरं के लिए आवेदन आवेदक का ए आवेदक की र पुत्र / पत्नी / पु निवास स्थान पता, जहां आ प्राइवेट सुरक्षा प्राइवेट सुरक्षा (क) सीआई (ख) ईएसअ (ग) ईपीएप (घ) श्रम अ (ङ) श्रम पं (च) जीएस (छ) कोई व

2. 3. 4. 5. 6. 7.

अभिकरण के स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष का नाम और पताः 8.

(कृपया एफडीआई अनुमोदन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)

विदेशी शेयर धारण की प्रतिशतता :

(vii) एफडीआई के अनुमोदन के ब्यौरे :

(vi)

क्रम संख्या	प्रबंधन की किस्म	नाम	पता	पहचान का सबूत
	(स्वत्वधारी, भागीदार,		डीआईएन संख्या	तथा संख्या
	बहुसंख्यक शेयर–		(यदि धारित हो)	
	धारक, निदेशक,			
	अध्यक्ष)			
1	2	3	4	5

9.	उपलब्ध	त्र सुविधाओं का नाम और विस्तार :
10.	(ক)	क्या आवेदन के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है या वह इसे आउटसोर्सिंग आधार पर लेगा ?
	(ख)	यदि आवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है तो कृपया निम्नलिखित सूचना दें :
	प्रशिक्षप	ग अभिकरण का नाम :
	प्रशिक्षप	ग अभिकरण का पता :
	प्रशिक्षप	ग अभिकरण की मान्यता के ब्योरे :
11.	सुरक्षा	सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण
	(ক)	डोर फ्रेम्ड मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी)
	(ख)	हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी)
	(ग)	माइन डिटेक्टर
	(ঘ)	अन्य उपकरण
		(i) बेतार दूरभाष
		(ii) अलार्म युक्तियां
		(iii) बख्तरबंद वाहन
		(iv) आयुद्ध
12.	वदीं की	ो विशिष्टयां, जिसके अंतर्गत उसका रंग भी है (कृपया वर्दियों की रंगीन फोटो संबद्ध करें):

क्या आवेदक एक से अधिक जिलों में प्रचालन करने की इच्छा रखता है ? यदि हां, तो जिलों का नाम

क्या आवेदक संपूर्ण राज्य में प्रचालन की इच्छा रखता है ? हां / नहीं

हस्ताक्षर आवेदक का नाम आवेदक का पता आवेदक का दूरभाष नंबर आवेदन की तिथि

संलग्नक :

13.

14.

- 1. अभिकरण के परिसर का फोटो।
- 2. सभी प्रबंधकीय कार्मिकों की पहचान का सबूत।
- 3. प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे (यदि लागू हों)।
- 4. वर्दियों की रंगीन फोटो ।
- 5. ऊपर पैरा ७ में दिए गए अभिकरण ब्यौरों के अधीन दस्तावेज (यदि लागू हों)।
- 6. चालू आय कर समाशोधन प्रमाणपत्र की प्रति ।
- 7. अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (2) के अधीन यथा विहित शपथ-पत्र।
- अन्य संलग्नक।

प्ररूप II

[देखिए नियम 3 और 5(2)]

आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

टिप्पण :	यदि आवेदक कोई कंप	नी, कोई फर्म, व्यक्तियों व		ा १००५ हैं, तो यह प्ररूप कंपनी के प्रत्येक स्वत्व	धारी					
	9	गिदार या निदेशक द्वारा भ		वे भी आवेदक हैं।						
	केवल कार्यालय के उप									
	प्ररूप संख्या पुर्ववृत सत्यापन जारीकर्ता तिथि									
		3 0								
			-							
फीस रा	शि रुनगद	/ डिमांड ड्राफ्ट		बैंक का नाम						
डिमांड ऱ	इाफ्ट संख्या	<u></u> ত	गरी करने की ति	थि						
कृपया र	पष्ट अक्षरों में भरे (सावधा	नः कृपया सही सूचना प्रस्त्	ाुत करें । प्ररूप	में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपान	ा से					
उम्मीदवा	र को अनुज्ञप्ति अनुदत्त के	लिए अनुपयुक्त ठहराया ज	ाएगा)							
1. आवेद	क का (आद्याक्षर अनुज्ञात	नहीं है) अंतिम नाम		प्रथम नाम						
2. यदि	आपने अपने नाम में कभी	कोई परिवर्तन किया है, तो	कृपया पिछले पृ	्रे नाम (नामों) का उल्लेख करें						
3. लिंग	(पुरुष / महिला)									
4. जन्म	तिथिः									
5. आधा	र संख्या									
6. पैन र	नंख्या									
7. जन्म	का स्थान : गांव/कस्बा		जिला	राज्य और देश						
८. पिता	का पूरा नाम/विधिक संर	क्षक का पूरा नाम (उपनाम	सहित, यदि कोः	ई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)						
९. माता	का पूरा नाम (उपनाम सिंह	हेत, यदि कोई हो तो) (आद	गक्षर अनुज्ञात न	हीं है)						
10. यदि	विवाहित है, तो पति / पत	नी का पूरा नाम (उपनाम र	ाहित, यदि कोई	हो तो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)						
11. वर्तम	गन आवासीय पता, गली /	सड़क संख्या, पुलिस थाना,	, ग्राम तथा जिल	॥ सहित (पिन कोड संख्या भी देवें)						
	दूरभाष संख	गा / मोबाइल संख्या								
12. उपर्	र्युक्त पते पर किस तिथि से	निवास कर रहे है, लिखिए	: (तिथि / मास	/ वर्ष)						

278	HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 6, 2022 (VYSK. 16, 1944 SAKA)
१३. स्थायी प	ता गली संख्या / थाना—ग्राम और जिला (पिन कोड सहित)
	में खाना (11) में दिए गये पते पर लगातार पांच वर्ष तक निवास नहीं किया है, तो कृपया अवधि सहित निवास (पते) उल्लेख करिए।
	सेतक पता
15. विदेश निवास किया	में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् आप जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक हो
16. अन्य ब्ये (क)	ारः शैक्षणिक अर्हताएं ;
(प <i>י)</i> (ख)	पूर्व में यदि किस पद पर रहे हों, तो नियोक्ता का नाम और पता ;
(य) (ग)	पिछले नियोजन छोडने के कारण ;
(· / (ਬ)	शरीर पर विभेदक पहचान चिहन ;
(ভ়)	पिछले तीन वर्ष की आयकर विवरणी ;
क्रम संख्या	निर्धारण वर्ष आईटीआर की प्रति संलग्न है (हां / नहीं)
1. —	
2	
3. —	
(च) अधिनिय	ाम की धारा 6 के उपबंध सम्मिलित करते हुए शपथ—पत्र संलग्न हैः हां / नहीं
	आपने किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को पहले परिचालित किया था या इसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक थे ? यदि हां, तो अभिकरण का नाम, पता और इसकी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां दीजिए।
थी, तो कृपया	गाप जन्म/विरासत/पंजीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं। यदि आप के पास अन्य कोई नागरिकत । पूर्व नागरिकता का उल्लेख करे
	आपको भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावास से
	या गया है ? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या, और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की
प्रात सलग्न व	करें)
	भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही लंबित है ? यदि ऐसा है, ते नाम, वाद संख्या और अपराध का विवरण दीजिए

21.	स्वतःघोषणाः

44	द्वारा इस !		TO TT		-}:	4				4	~#~	*			\rightarrow	Α			. 	
H۲	द्वारा इस !	প্ৰক্ষ ৫	તથા	सलग्ना	н	दा	गइ	स्यना	सहा	ਨ	આર	н	इसका	सत्यता	ආ	ાલए	पुणतः	उत्तरदाया	ਰ	П

	(आवेदक के हस्ताक्षर)
दिनांक	
स्थान	
संलग्नक:	
	(07)
	(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररुप III

[देखिए नियम 3(2) तथा 5 (1)]

शपथ पत्र

मै	पुत्र / पुत्री / पत्नी / १	थ्री / सुश्री	 		
निवासी	मैसर्स		 (फर्म / अभिव	करण / कंपनी व	का नाम)
स्थित			 		
	का पता) का स्वत्वधारी/		निष्ठा से प्रतिज्ञान	और घोषणा	करता हूँ
_{कि} .					

- 1. यह कि अभिसाक्षी भारत का नागरिक है।
- 2. यह कि अभिसाक्षी ने 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली है।
- 3. यह कि स्वत्वधारी / भागीदारों / निदेशको के ब्यौरे (कृपया सभी भागीदारों / निदेशकों के ब्यौरे उपदर्शित करें) जो निम्नानुसार हैं :

क्रम	स्वत्वधारी / भागीदारों / निदेशकों	फर्म / अभिकरण / कंपनी का पदनाम	निवास का पता
संख्या	के नाम	स्वत्वधारी / भागीदार / निदेशक	
1	2	3	4

- 4. यह कि अभिसाक्षी या किसी स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक को कंपनी के प्रोन्नत, गठित करने या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए (फर्म/अभिकरण/कंपनी के संबंध में कोई कपट या अपकरण) सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी है ।
- 5. यह कि अभिसाक्षी या किसी स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक को किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वर्ष से कम का कारावास नहीं है ।
- 6. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक
 - (क) किसी संगठन या संस्था से संबंध नहीं रखते है, जिनको उनके क्रियाकलापों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते हैं, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित किया गया है; या
 - (ख) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते

हैं।

- 7. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत या हटाया नहीं गया है।
- 8. यह कि फर्म / अभिकरण / कंपनी भारत में पंजीकृत है और उसके पास स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है।

- 9. यह कि अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक उसके यथा विहित प्राईवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके और उन्हें ऐसा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे ।
- 10. यह कि अभिसाक्षी और फर्म / अभिकरण / कंपनी के सभी भागीदार / निदेशक, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 11 के अधीन यथा नियत निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे।
 - (i) विहित प्रशिक्षण, जिसे अनुज्ञाप्तिधारी को करना है;
 - (ii) अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के ब्यौरें;
 - (iii) नियंत्रक प्राधिकारी को समय—समय पर अपने पते, प्रबंधन के किसी परिवर्तन के संबंध में सूचना देने की बाध्यता;
 - (iv) नियंत्रक प्राधिकारी को समय—समय पर उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति, प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राईवेट सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरूद्ध किसी भी दांडिक आरोप के संबंध में सूचना देने की बाध्यता;
 - (v) राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन कर सकता है और ऐसे प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण, यदि किसी अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, की अनुज्ञप्ति को जारी रखने बारे या अन्यथा से पुनर्विलोकन कर सकता है।
- 11. यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है ।

अथवा

यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला पंजीकृत किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित है। (ब्यौरों को संलग्न करे)

	\sim		
आ	H	4	ाक्षा

सत्यापन— मैं,इसके द्वारा, दिनांकको सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि यह शपथ पत्र की उपर्युक्त अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें काई बात छिपाई नहीं गई है ।

अभिसाक्षी

टिप्पण:

- (i) बिंदु संख्या 4 से 8 अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन से संबंधित है ।
- (ii) बिंदु संख्या 9 अधिनियम की धारा 9 (2) के अनुपालन से संबंधित है ।
- (iii) बिंदु संख्या 10 और 11 अधिनियम की धारा 11 के अनुपालन से संबंधित है ।
- (iv) उन बिंदुओं को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं ।

प्ररूप IV

[देखिए नियम 3(9)]

हरियाणा सरकार

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने की अनुज्ञप्ति

	`	3	3
क्रम संख्या			
तारीख			
प्राइवेट सुरक्षा	अभिकरण का नाम		
श्री	(आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री	निवासी
को		पते पर स्थित कार्यालय से	जिले/राज्य जो (जो लागू न हो
उसे काट दें)	में प्राइवेट सुरक्षा अभिकर	ग का व्यवसाय के प्रचालन के लिए	राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी
द्वारा अनुज्ञप्ति	अनुदत्त की जाती है ।		
जारी करने का	स्थानः		
जारी करने की	तिथिः		
यह अनुज्ञप्ति .		तक वैध हैं ।	
			हस्ताक्षर
			अनुदत्त प्राधिकारी का नाम,
			पदनाम
			कार्यालय का पता
		नवीकरण	
		(देखिए नियम 5(4))	
क्रम संख्या	नवीकरण की तिथि	समाप्ति की तिथि	
1.			
2.			
3.			
4.			

हस्ताक्षर नवीकरण प्राधिकारी का नाम, पदनाम कार्यालय का पता

प्ररूप V

[देखिए नियम ७(२)]

सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

	आवेदक के हस्त	ताक्षर				
केवर	ल कार्यालय द्वारा उ	पयोग के लिए				
प्ररूप	ग संख्या	चरि	त्रि और पूर्ववृत्त सत्यापन	जारीकर्ता	तिथि	
फीस	राणि रु	नकद	्र / दिमांद्र द्वाफ्ट	<u>बैंक</u>	का नाम	
					तेथि	
					ि छिपाने से अभ्यर्थी को प्र	
			लिए अनुपयुक्त माना ज			3
1.			· ५५ । पत्र में प्रतीत हो (आद		·)	
			प्रथम नाम	_		
2.	यदि आपने अपने	नाम में कभी कोई	परिवर्तन किया है, तो र्	पेछले पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें।	
3.	लिंग (पुरुष / महि	ला)		•		
4.		⁄ माह / वर्ष)				
5.	आधार संख्या					
6.	जन्म का स्थान ग्र	ाम / नगर	fī	जेला	देश और राज्य	
7.	पिता का पूरा नाम	1 / विधि संरक्षक क	। पूरा नाम (उपनाम सिंह	हेत, यदि कोई हो) (र	आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)	
8.	माता का नाम (उ	पनाम सहित, यदि	कोई हो) (आद्याक्षर अन्	 गुज्ञात नहीं है)		
9.	यदि विवाहित है व	तो पति / पत्नी का	पूरा नाम (उपनाम सहि	त, यदि कोई हो) (अ	ाद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)	
10.	वर्तमान आवासीय	पता, गली, सड़क	संख्या / पुलिस थाना, उ	गाम और जिला सहि	त (पिन कोड संख्या भी दें))
	दूरभाष नम्बर		/मो	बाइल नम्बर		
11.	कृपया उपर्युक्त डा	ल्लिखित पते पर वि	bस तिथि से निवास क [्]	र रहे हैं: दिन/माह/	⁄ वर्ष	
12.	स्थायी पता गली	नम्बर / पुलिस थान	ा, ग्राम और जिला सहि	त (पिन कोड सहित)		
13.	यदि आपने खाना	(10) में दिए गए प	गते पर लगातार पांच व	र्भ तक निवास नहीं र्व	केया है, तो कृपया अवधि स	 १हित निवार
	का अन्य पता (पत	ते) उल्लेख करिए ।				
	दिनांक	से	तक	τ	ाता	
		से	तक			
		से	तक			

284	HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 6, 2022 (VYSK. 16, 1944 SAKA)
14.	विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से
	अधिक निवास किया हो; उनका ब्यौरा दीजिएः
15.	अन्य ब्यौरः—
	(क) शैक्षिक अर्हताएं
	(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहे हों, तो नियोक्ता का नाम और पता
	(ग) पिछले नियोजन छोड़ने के कारण
	(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह
	(ड.) कद (सेंटी.मीटर.)
	(च) अधिनियम की धारा 10(1) और (2) के उपबंधों को सम्मिलित करते हुए शपथ–पत्र संलग्न करेः हां / नहीं
16.	क्या आप केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/वैधानिक निकाय में सेवारत हैं। हां/नहीं
17.	क्या आप जन्म/विरासत/पंजीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं?ः यदि आप के पास अन्य कोई
	नागरिकता थी, तो कृपया पूर्व की नागरिकता का उल्लेख करें
18.	क्या आपको भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध टहराया गया है और कारावास से
	दंडादिष्ट किया गया हैं? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए
	(निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)
19.	क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही लंबित है? यदि ऐसा है, तो
	न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए
20.	क्या किसी न्यायालय द्वारा कोर्ट वारंट या उपस्थिति के लिए समन या गिरफ्तारी के वारंट अथवा भारत से बाहर जाने
	को प्रतिषेध करने का आदेश जारी किया गया है?: यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का
	विवरण दीजिए
21.	स्वतः घोषणाः-
	मेरे द्वारा इस प्ररूप और संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।
22.	अंगुलियों के निशानः
	(आवेदक के हस्ताक्षर)
दिनांव	Б
स्थान	
संलग्न	नक

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप VI

[देखिए नियम 7(2)]

शपथपत्र

में	पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री. / सुश्री नि	वासी
	(आवासीय पता) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण मैसर्स(फ	र्म / अभिकरण / कंपनी का
नाम) र्	स्थित (फर्म / अभिकरण / कंपनी का पता) में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्ष	क के रूप में नियोजन के
लिए स	स्वयं प्रस्थापना करता हूँ । मैं, इसके द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान तथा घोषणा करता हूँ –	
1.	यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ ।	
2.	यह कि मैने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, लेकिन 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है । मेरी	जन्म तिथि
	है ।	
3.	यह कि मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है ।	
4.	यह कि मुझे संघ के किसी सशस्त्र बल, राज्य पुलिस संगठन, केंद्रीय सरकार या राज्य	सरकार या किसी प्राइवेट
	सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते हुए अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर पदच्युत या हटार	ग्रा नहीं गया है।
		अभिसाक्षी
सत्याप	पन : मैं, इसके द्वारा, दिनांक को सत्यनिष्टा से प्र	तिज्ञान करता हूँ कि इस
शपथप	पत्र में ऊपर दिए गए तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही हैं और इनमें व	कुछ भी छिपाया नहीं गय <u>ा</u>
है ।		

अभिसाक्षी

टिप्पण : प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005, (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 10 (2) के उपबंध, अभिसाक्षी की जागरूकता के लिए शपथपत्र के पिछले भाग पर मुद्रित किए जा सकते हैं, जो निम्न प्रकार है: "धारा 10.— प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होने के लिए अर्हताएं ।

(2) ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है या संघ के किसी सशस्त्र बल, किसी राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, को प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा।"

प्ररूप VII

[देखिए नियम ७(६)]

चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र

(यह प्रमाणपत्र प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के नियमों में सम्मिलित किए गए उपबंधों के अधीन जारी किया गया है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री	पुत्र / पुत्री	जिसका ब्यौरें
निम्नलिखित है, अच्छे नैतिक चरित्र और अच्छी ख्याति के हैं, और पिछले प	एक वर्ष से निम्न पते पर लगातार	निवास कर रहा
है ।		
जन्म तिथि :		
जन्म स्थान :		
शैक्षिक अर्हता :		
व्यवसाय :		
वर्तमान पताः		
स्थायी पता :		
यह प्रमाणपत्र, (प्रमाणपत्र के स्रोत) के आ	धार पर जारी किया गया है और	जारी करने की
तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक वैध होगा ।		
	जारीकर्ता प्राधिकारी	
	हस्ताक्षर	
	नाम :	
	पदनाम :	
	पता / दूरभाष नम्बरः	
	′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′	

जारी करने की तिथि :

प्ररूप VIII

[देखिए नियम ८(४)]

[403,774,0(7)]
प्रशिक्षण प्रमाण—पत्र
क्रम संख्या
प्रशिक्षण अभिकरण का नाम
प्रशिक्षण अभिकरण का पता
प्रशिक्षण अभिकरण मान्यता संख्या
[इस अभिकरण की मान्यता दिनांक तक वैध है,]
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री पुत्र / पुत्री श्री मिवासी
से
तक राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाचा (एन एस क्यू एफ) के मानक अनुसार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति य
काम पर रखे जाने के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है ।
उसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकित हैं ।
प्रमाण–पत्रधारक के हस्ताक्षर
जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम
जारी करने का स्थान :

जारी करने की तिथि:

प्ररूप IX

(नियम 11 देखिए)

अपील के लिए प्ररूप

अधिनियम की धारा 14	के अधीन अपील			
			पुत्रःपुत्री	
निवासी				
		बनाम		
नियंत्रक प्राधिकारी				
दिनांक	के	(नियंत्रक प्राधिकार	ो के) के आदेश, और	
	(प्राइवेट र्	मुरक्षा अभिकरण का नाम) के	प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति अस्वीकार वि	bए जाने के
आदेश के विरुद्ध, उपर	र्युक्त अपीलकर्ता		(राज्य के गृह सचिव) को अपी	ल करते हैं,
और आदेश के विरुद्ध	आपत्ति के निम्न आधार	दिए गए हैं।		
1				
2				
3				
4				
संलग्नक दस्तावेजों की	। सूचीः			
	6			
			हस्ताक्षर	
			अपीलकर्ता का नाम तथ	ग गटनाम
दिनांक :			जानासम्बद्धाः यम भागः स	14:111
स्थान :				
रचा ।				

प्ररूप X

(नियम 12 देखिए)

विशिष्टियां-रजिस्टर

(रजिस्टर-क प्रबंधन विवरण)

क्रम	अभिकरण का प्रबंध	माता–पिता /	वर्तमान पता और	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में
संख्या	करने वाले	पिता का नाम	दूरभाष संख्या			नियुक्ति / छोड़ने
	व्यक्ति / व्यक्तियों के					की तिथि
	नाम					

(रजिस्टर-ख प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक)

क्रम	गार्ड /	पिता	का	वर्तमान	अभिकरण	स्थायी पता	फोटोग्राफ	अंगुलियों	कर्मचारी	तिथि सहित
संख्या	पर्यवेक्षक	नाम		पता और	में			के	संख्या	वेतन,
	का नाम			दूरभाष	नियुक्ति /			निशान		ईएसआई,
				संख्या	छोड़ने की					ईपीएफ
					तिथि					संख्यांए और
										बैंक / शाखा
										जिसके
										माध्यम से
										संदत्त है ।

(रजिस्टर–ग ग्राहक)

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम	स्थान का नाम,	उपलब्ध कराए	सेवा प्रारंभ करने	सेवा समाप्त की तिथि
	और फोन नंबर	जहाँ सुरक्षा	गए सुरक्षा गार्ड	की तिथि	
		प्रदान की जाती	की संख्या और		
		है	रैंक		

(रजिस्टर-घ ड्यूटी रोस्टर)

क्रम संख्या	प्राइवेट सुरक्षा	ड्यूटी स्थान का	क्या कोई	ड्यूटी प्रारंभ	ड्यूटी समाप्त करने की
	गार्ड / पर्यवेक्षक	पता	शस्त्र / गोला–बारूद	करने की तिथि	तिथि और समय
	का नाम		उपलब्ध कराए गए	और समय	
			है		

प्ररूप XI

[देखिए नियम 13(1)]

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक के लिए फोटो / पहचान-पत्र

(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम)	
पहचान–पत्र संख्या	रंगीन फोटो
नाम	
कार्यालय पदनाम	
कर्मचारी संख्या	
रक्त समूह	
जारी करने की तिथितक वैध है।	
पहचान—पत्र धारक के हस्ताक्षर	
जारीकर्ता प्राधिकारी	के हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर	
	[फा.सं ,]

राजीव अरोड़ा, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 6th May, 2022

No. S.O. 21/C.A. 29/2005/S.25/2022.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act 29 of 2005), in supersession of Haryana Private Security Agencies Rules, 2009 except on respect things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

- (1) These rules may be called the Haryana Private Security Agencies Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. (1) In these rules unless the context otherwise requires, -

1.

- (a) "Act" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act 29 of 2005);
- (b) "Agency" means the Private Security Agency;
- (c) "Controlling Authority" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Act;
- (d) "Form" means a Form appended to these rules;
- (e) "licence" means a licence granted under the Act;
- (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.
- **3.** (1) Every agency while making an application in Form I to the Controlling Authority for the grant of Licence shall also enclose the Form II for verification of his antecedents.
- Application for grant of licence.

Short title and

Definitions.

Commencement.

- (2) If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application in Form I shall be accompanied by Form II for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants. In addition, he shall submit an Affidavit in Form III incorporating the details in relation to the provisions contained in subsection (2) of section 7 of the Act.
- (3) On receipt of Form I, Form II, Form III, the Controlling Authority shall make such inquiries, as it considers necessary to verify the contents of the application and the particulars of the applicant.
- (4) The Controlling Authority shall utilise electronic databases of crime and criminals like the Crime and Criminal Tracking Networks and Systems (CCTNS), Interoperable Criminal Justice System (ICJS) for the purpose of verification of antecedents of the applicant.
- (5) Wherever any applicant's antecedents have been verified in any other State earlier and Licence is granted, it shall not be necessary for the Controlling Authority to verify the antecedents afresh provided that the Licence for which antecedents are verified is under period of validity.
- (6) Form I shall be accompanied by a demand draft or banker's cheque or electronic evidence showing the payment of fees as specified under sub-section (3) of section 7 of the Act, payable to the Controlling Authority of the State concerned where the application is being made.
- (7) The application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the Controlling Authority or sent to him by registered post or through electronic means.
- (8) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall after mentioning thereon the date of receipt of the application, grant an electronic or digital acknowledgement to the applicant.
- (9) The Controlling Authority, after receiving an application in Form I shall grant a licence to the private security agency in Form IV after making such enquiry as it considers necessary, and after compliance with the provisions of the Act:

Provided that if the private security agency has already obtained a licence from the Controlling Authority of any other State then requirement of training of the licensee shall not be necessary.

- (10) The Controlling Authority either by itself or through its officer or any other means shall verify the premises of the private security agency at the address or addresses provided by the agency.
- (11) The Controlling Authority shall cause a physical copy of the licence to be delivered by post within fifteen days of issue to the principal office of the private security agency in the State concerned as mentioned in the application for grant of licence which the private security agency shall be bound to display at its place of business.
- (12) In case of rejection of the application for grant of licence, no order of refusal shall be made unless,-
 - (a) the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard; and
 - (b) the grounds on which licence is refused is mentioned in the order.
- (13) The Controlling Authority shall pass an order on Form I within sixty days from the date of receipt of it complete in all respects.

Conditions for grant of licence.

- **4.** (1) The licensee shall successfully undergo a training relating to the private security as prescribed by the Controlling Authority within the time frame fixed by it.
- (2) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the licensee.
- (3) The training shall be for a minimum period of six working days. The training shall broadly include the following subjects, namely;-
 - (i) Present security scenario:
 - (a) VIP Security;
 - (b) Internal Security;
 - (c) Institutional Security;
 - (ii) Role and functioning of Private Security Agencies:
 - (a) Fire Fighting;
 - (b) Disaster/ Emergency Management protocol;
 - (c) Security Duties;
 - (d) Checking of various documents;
 - (e) Information security;
 - (f) Access Control;
 - (g) Explosives, IEDs;
 - (h) Anti Sabotage Checks (ASC);
 - (i) Security related equipments;
 - (j) Communication Equipments;
 - (k) Patrolling;
 - (1) Post duties;
 - (iii) Legal provisions:
 - (a) The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act 29 of 2005) and the rules framed there under;
 - (b) Relevant Labour Laws;
 - (iv) Management of Security Agencies:
 - (a) Uniform;
 - (b) Training of personnel of private security agencies;
 - (c) Documentation and records to be maintained by the licensee;
 - (d) Data Sharing Protocol;
 - (v) Interface with public, police and other departments:
 - (a) Interface with public;
 - (b) Liaison with police and other concerned Government Departments;
 - (vi) Private Security Personnel DO's and DON'Ts (Conduct Rules) as specified in Annexure-A.

- (4) The licensee shall intimate the name, parentage, date of birth, permanent address, address for correspondence and the principal profession of each person forming the Agency within fifteen days of receipt of the licence to the Controlling Authority.
- (5) The licensee shall inform the Controlling Authority regarding any change in the address of persons forming the Agency or change of management within thirty days of such change.
- (6) The licensee shall immediately intimate to the Controlling Authority about any criminal charge framed against the persons forming the Agency or against a private security guard or supervisor engaged or employed by the Agency, in the course of performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station where the person charged against resides.
- (7) Every licensee shall abide by the requirements of physical standards for the private security guards and their training as prescribed in these rules as the condition on which the licence is granted.
- (8) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of licence shall be non-refundable.
- (9) The licensee shall commence its activities within six months of obtaining the licence.
- (10) Commencement of activities shall include establishment of office premises and engagement of supervisors as provided under sub-section (3) of section 9 of the Act and in accordance with rule 10.
- **5.** (1) Every Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the licence in Form I along with Form II and Form III not less than forty-five days before the date of expiry of the period of validity thereof and after complying other conditions of section 8 of the Act.

Renewal of licence.

- (2) If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application in Form I shall be accompanied by Form II for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants.
- (3) The Controlling Authority shall verify the antecedents of the applicant in the same manner as mentioned in sub-rule (4) of rule 3.
- (4) The Controlling Authority, after receiving an application in Form I shall grant a renewal of licence in Form IV after making such enquiry as it considers necessary and after compliance with the provisions of the Act.
- (5) In case of non-receipt of the application for renewal of licence within the period mentioned in sub-rule (1), the agency shall be treated as un-licensed agency after the expiry of licence.
- (6) After expiry of period of applying for renewal of licence, the Agency may apply for fresh licence as per section 7 of the Act.
- (7) The fees chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant of licence as mentioned in sub-rule (6) of rule 3.
- (8) Applications received after the period stipulated in sub-rule (1) and before the expiry of licence shall not be processed for renewal of licence.
- (9) The Controlling Authority shall pass an order on application for renewal of licence in Form I within thirty days from the date of receipt of application complete in all respects.
- (10) The validity of renewed licence shall be counted from the date of expiry of the previous licence and shall be upto a period of five years irrespective of its date of renewal. In case the application is decided by the Controlling Authority after expiry of the existing licence, the intervening period shall deem to be under valid licence.
- (11) The Controlling Authority and the Private Security Agencies shall not be liable for delays occurring by reason of circumstances beyond human control, including but not limited to acts of civil or military authority, national emergencies, riot, acts of God.

Conditions for renewal of licence.

- 6. The renewal of the licence shall be granted subject to the following conditions, namely:-
 - (i) The applicant continues to maintain his principal place of business in the jurisdiction of the Controlling Authority;
 - (ii) The applicant continues to ensure the availability of the training for its private security guards and supervisors required under sub-rule (2) of rule 8 of these rules;
 - (iii) The applicant continues to adhere to the licence conditions;
 - (iv) The applicant has no criminal antecedents as may be verified from a database of crime and criminals.

Verification of character and antecedents of the private security guard and supervisor.

- 7. (1) Before any person is employed or engaged as a security guard or supervisor, the Agency shall satisfy itself about the character and antecedents of such person in any one or more of the following manner, namely:-
 - (a) by relying upon the character and antecedents verification certificate produced by the person:

Provided that the character and antecedent certificate shall be valid and the Agency does not have any adverse report regarding the person's character and antecedents from any other source;

- (b) by accessing electronic databases of crime and criminal like the Crime and Criminal Tracking Networks and Systems (CCTNS), Interoperable Criminal Justice System (ICJS) for verification of the character and antecedents through the Controlling Authority or the police.
- (2) The person desirous of getting employed or engaged as security guard or supervisor shall submit Form V to the Agency. In addition, he shall submit an Affidavit in Form VI incorporating the details in relation to the provisions contained in sub-section (2) of section 10 of the Act.
- (3) The State Government shall arrange to accept the fee to be deposited electronically for character and antecedent verification.
- (4) The authority to which the application is made shall ensure that character and antecedent verification report is issued within fifteen days of the receipt of the character and antecedent form.
- (5) 'Character and antecedents' verification report once issued shall remain valid for five years irrespective of the change in employer status.
- (6) On the basis of 'character and antecedents' verification, the Agency shall issue in Form VII a character and antecedents certificate and this certificate shall not be taken back by such Agency even if the person ceases to be the employee of that Agency.

Security Training.

- **8.** (1) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the security guards in accordance with National Skill Qualification Framework. For entry level, this training shall be for a minimum period of hundred hours of classroom instruction and sixty hours of field training, spread over at least twenty working days. The ex-servicemen and former police personnel shall however be required to attend a condensed course only, of minimum forty hours of classroom instructions and sixteen hours of field training spread over at least seven working days.
 - (2) The training shall include the following subjects, namely:-
 - (a) conduct in public and correct wearing of uniform;
 - (b) physical fitness training;
 - (c) physical security, security of the assets, security of the building/ apartment, personnel security, household security;
 - (d) fire fighting;
 - (e) crowd control;
 - (f) examining identification papers including identity cards, passports and smart cards:
 - (g) should be able to read and understand English alphabets and Arabic numerals as normally encountered in the identification documents, arms licence, travel documents and security inspection sheet;
 - (h) identification of improvised explosive devices;

- (i) first-aid;
- (j) crisis response and disasters management;
- (k) defensive driving (compulsory for the driver of Armoured vehicle and optional for others);
- (l) handling and operation of non-prohibited weapons and firearms (optional);
- (m) rudimentary knowledge of Indian Penal Code, right to private defense, procedure for lodging first information report in the police station, Arms Act (only operative sections); Explosives Act (operative sections);
- (n) badges of rank in police and military forces;
- (o) identification of different types of arms in use in public and police;
- (p) use of security equipments and devices (for example; security alarms and screening equipments); and
- (q) leadership and management (for supervisors only).
- (3) The security guard shall have to successfully undergo the training prescribed by the Controlling Authority.
- (4) On completion of the training each successful trainee shall be awarded a certificate in Form VIII by the training institute.
- (5) The training certificates issued to the guards/ supervisors from Training Institutes in one State shall be accepted in other State also.
- (6) The Controlling Authority shall inspect the functioning of training facility from time to time either by itself or through its own officers. Normally such inspection shall be conducted at least two times every year.
- (7) All the training agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority in the manner as specified.
- (8) Based on training completed and requirement of the job, private security agency may have their own designations provided that no agency shall adopt any of the ranks of the armed forces, paramilitary forces or State Police Forces.
- (9) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the private security guards and supervisors of any private training agency.
- (10) The Controlling Authority may review the continuation or otherwise of licence of such security agencies which may not have adhered to the conditions of trained personnel on its rolls.
- **9.** (1) A person shall be eligible for being engaged or employed as security guard if he fulfils the standards of physical fitness as specified below:-
 - Height, 160 cms (Female 150 cms), weight according to standard table of height and weight, chest 80 cms with an expansion of 4 cms (for females no minimum requirement for chest measurement).
 - (ii) Eye sight: Far sight vision 6/6, near vision 0.6/0.6 with or without correction, free from color blindness, should be able to identify and distinguish color display in security equipments and read and understand display in English alphabets and Arabic numerals.
 - (iii) Free from knock knee and flat foot and should be able to run one kilometer in six minutes.
 - (iv) Hearing: Free from defect; should be able to hear and respond to the spoken voice and the alarms generated by security equipments.
 - (v) The candidate should have dexterity and strength to perform searches, handle objects and use force for restraining the individuals in case of need.
- (2) A candidate should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.
- (3) Agency shall ensure that every private security guard working for it undergoes a medical examination after every twelve months from his last such examination so as to ensure his continued maintenance of physical standard as prescribed for the entry level.

Standard of physical fitness for security guards.

Provision for Supervisors.

- **10.** (1) There shall be one supervisor to supervise the work of not more than fifteen private security guards.
- (2) In case the private security guards are on security duty in different premises and it is not practical to supervise their work by one supervisor, the agency shall depute more number of supervisors so that at least for every six private security guards there is one supervisor available for assistance, advice and supervision.

Appeals and procedure

11. Every appeal under sub-section (1) of section 14 of the Act shall be preferred in Form IX signed by the aggrieved person or his authorized advocate and presented to the Home Secretary to the State Government in person or in electronic or digital form or sent to him by registered post.

Register to be maintained by the Agency.

12. The register required to be maintained under the Act by the Agency shall be maintained electronically in Form X.

Photo identity card.

- **13.** (1) Every photo identity card issued by the Agency under sub-section (2) of section 17 of the Act shall be in Form XI.
- (2) The photo identity card shall convey a full-face image in color, full name of the private security guard, name of the Agency and the employee number of the individual to whom the photo identity card is issued.
- (3) The photo identity card shall clearly indicate the individual's position in the Agency and the date up to which the photo-identity card is valid.
- (4) The photo identity card shall be maintained up to date and any change in the particulars shall be entered therein.
- (5) The photo identity card issued to the private security guard shall be returned to the Agency issuing it, once the private security guard is no longer engaged or employed by it.
- (6) Any loss or theft of photo identity card shall be immediately brought to the notice of the Agency that issued it.

Other conditions.

- **14.** (1) Notwithstanding whether the Agency mandates its private security guards to put on uniform while on duty or not, every private security agency shall issue and make it obligatory for its security guards to put on:
 - (a) an arm badge distinguishing the Agency;
 - (b) shoulder or chest badge to indicate his position in the organization;
 - (c) whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket;
 - (d) shoes with eyelet and laces;
 - (e) a headgear which may also carry the distinguishing mark of the Agency.
- (2) The clothes wear by the private security guard while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In particular they shall neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.
- (3) Every private security guard shall carry a notebook and a writing instrument with him.
- (4) Every private security guard while on active security duty shall wear and display photo-identity card issued under section 17 of the Act, on the outer most garment above waist level on his person in conspicuous manner.

Annexure-A

[(See Rule 4 (3) (vi)]

Private security Personal- Do's and Don'ts (Conduct Rules)

Do's :-

- 1. Keep this booklet/pamphlet with you while on duty.
- 2. Always obey and follow the policy of the company/department.
- 3. Wear your proper uniform.
- 4. Your uniform should be neat and properly ironed.
- 5. Shoes should be neat and polished.
- 6. Shave daily/keep beard and mustache trimmed.
- 7. Ensure that you have a proper haircut.
- 8. Wear civil dress properly in case uniform is not issued to you.
- 9. Display your identity card on your uniform while on duty.
- 10. Be punctual.
- 11. Be alert and vigilant.
- 12. Be polite and courteous.
- 13. Be enthusiastic.
- 14. Be respectful to all customers/visitors.
- 15. Greet and reply the visitors in a friendly way.
- 16. Keep yourself healthy and fit.
- 17. Stay calm with an angry customer.
- 18. Deal respectfully with lady customers.
- 19. Know your senior staff.
- 20. Inform your supervisor/superiors about any unexpected or emergency situation.
- 21. Make sure you know your duties/responsibilities at every post.
- 22. Proper duty handing over should be carried out.
- 23. Be cooperative and build a good relationship with all.
- 24. Be available and flexible for any Emergency duty.
- 25. Do simple stretching exercise every hour while on duty.
- 26. Keep yourself updated about functional processes and procedures of your company.
- 27. Maintain your cool while speaking over telephone.
- 28. Be aware of the vulnerable areas, security threats and emergency exits at your location.
- 29. Ensure that the premises are secure after business hours.
- 30. Carry a torch with you for night duty.
- 31. Keep a list of important telephone numbers with you.
- 32. Be aware of the actions to be taken in case of any emergency.
- 33. You should know how to frisk and check visitors, if required.
- 34. Keep an eye on the movement of personnel and vehicles in your area.
- 35. Be aware of hiding places in vehicles which have to be checked.
- 36. Carry out regular patrolling of your area of responsibility.
- 37. Ensure that all security gadgets in your area are working properly.
- 38. Report any breaches of Security to your superior immediately.
- 39. Make sure that first aid box is available in your post and is to be used in an emergency.
- 40. Make sure you know the types of fire extinguishers and how to use them in case of an emergency.

Don't's:-

- 1. Do not leave your post unless permitted by your supervisor or for patrolling.
- 2. Do not allow entry to any unauthorized person into the premises without permission.
- 3. Do not come to work under the influence of liquor/narcotic substances.
- 4. Do not smoke while on duty.
- 5. Do not chew gum or tobacco while on duty.
- 6. Do not sleep on duty.
- 7. Do not engage in unnecessary conversation with other while on duty.
- 8. Do not take leave without permission.
- 9. Do not argue with or shout at customers.
- 10. Don't be busy in secondary matters while on duty.
- 11. Don't indulge in rumour mongering.
- 12. Do not use company property or services for personal gain.
- 13. Do not entertain your friends/relatives in the guard post.

Form I

(See rule 3 and 5)

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE /RENEWAL OF LICENCE TO ENGAGE IN THE BUSINESS OF PRIVATE SECURITY AGENCY

To						
	The	Contro	lling Authority			
	Tl	1	i			
of Pri			igned hereby applies for obtaining a licence to run the business of operating services in the area Agencies			
1.	Full n	ame of	the applicant:			
2.	Natio	nality o	f the applicant:			
3.	Son/w	vife/dau	ghter of:			
4.	Resid	ential A	ddress:			
5.	Addre	ess, whe	ere the applicant desires to start his Agency:			
6.	Name	of the	Private Security Agency:			
7.	Additional details of the Private Security Agency (if applicable):					
	(a)	CIN N	Jo			
	(b)	ESI N	0			
	(c)	EPF N	Jo			
	(d)	Labou	r Licence No			
	(e)	Labou	r Registration No			
	(f)	GST N	No			
	(g)	Any o	ther information			
	(h)	Wheth	ner the Agency has FDI? (Yes/No)			
		If Yes	, Give the following information;			
		(i)	Country of FDI :			
		(ii)	Name of foreign shareholder:			
		(iii)	Address of foreign shareholder :			
		(iv)	Year of investment:			
		(v)	No. of shares:			
		(vi)	Percentage of foreign shareholding:			
		(vii)	Approval details of FDI:			

(Please attach the relevant document of FDI approval.)

8. Name and addresses of Proprietor, partner, Majority shareholder, Director and Chairman of the Agency:

Serial	Management Type	Name	Address	DIN	ID Proof
Number	(Proprietor/partner/Majority			Number	with
	shareholder/Director/Chairman)			(if held)	Number

9.	Nam	e and extent of facilities available:											
10.	(a) basis	Does the applicant possesses the training facility in its own or will get it on outsourcing?											
	(b)	(b) If the applicant has own training facility, please provide the following information:											
	Nam	Name of training agency:											
	Address of Training agency:												
	Reco	ognition details of Training agency											
11.	Equipments which will be used for Security services												
	(a)	Door Framed Metal Detector (DFMD)											
	(b)	Hand Held Metal Detector (HHMD)											
	(c)	Mine Detector											

- (d) Other Equipments
 - (i) Wireless Telephones
 - (ii) Alarm Devices
 - (iii) Armoured Vehicles
 - (iv) Arms
- 12. The particulars of the uniform including color. (Please attach color photo of uniforms).

13.	Does the a	pplicant intends to	operate in more that	in one districts? If	so the name of the	ie District
	1	2	3	4	5	
1.4	Door the	nnlicent intend to a	narata in tha antira	state? Ves/Ne		

14. Does the applicant intend to operate in the entire state? Yes/No

Signature

Name of the applicant

Address of the applicant

Telephone number of the applicant

Date of application

Enclosure:

- 1. Photo of the premises of the Agency.
- 2. ID Proof of all Management personnel.
- 3. Recognition details of training agency (if applicable).
- 4. Colour photo of uniforms.
- 5. Documents (if applicable) under the agency details given in Para 7 above.
- 6. Copy of current Income Tax Clearance Certificate.
- 7. Affidavit as prescribed in sub-section (2) of Section 7 of the Act
- 8. Other enclosures.

Form II

(See rule 3 and 5)

Form for verification of Antecedents of Applicant

NOTE: If the applicant is a Company, a firm or an Association of persons, this form shall be filled up by every Proprietor or Majority Shareholder, Partner or Director of the Company, as if they are also the applicants.

	For official use only		
	Form number	Antecedents verification issued by :	Date
ee .D N	No Date of Issue		
		TTERS: (CAUTION: Please furnish correct i ssion of any factual information in the form	
	Name of applicant (Initials no	ot allowed)	
	Last name	First name	
•	If you have ever changed you	r name, please indicate the previous name(s) in full	
	Sex (male / female).		
	Date of Birth (DD/MM/YYY		
•	Aadhaar No		
	PAN No		
•		n	
		State and Country	
•	Father's Full Name/ Legal Gu	nardian's Full Name (including surname, if any): (Ini	tials not allowed)
	Mother's Full Name (including	ng surname, if any): (Initials not allowed)	
0.	If married, Full Name of Spo	use (including surname, if any). (Initials not allowed)
1.	Present Residential Address,	including Street No./police station, village and Distr	ict (with PIN code)
		Telephone No./Mobile No	
2.	Please give the date since res	iding at the above-mentioned address: (DD/MM/YY	YY)
3.	Permanent Address include	ding Street No./police station, village and	District (with PIN code
		address given at COLUMN (11) continuously for th	1

302		HARYANA G	OVT. GAZ	. (EXTRA.), 1	MAY 6, 2022 (VY	YSK. 16, 1944 SAKA)
15.		se of stay abroad p				I for more than one year after attaining
16.		r Details:				
	(a)	Educational Qual	ifications:			
	(b)	Previous position	s held if any	along with nam	e and address of en	mployers:
	(c)	Reason for leavin	g last emplo	yment:		
	(d)	Visible Distingui	shing Mark:			
	(e)	Last 3 years IT R	eturn:			
		Serial Number	Assessn	nent Year		Copy of ITR enclosed (Yes/No)
		1.				
		2.				
		3.				
	(f)	Affidavit incorpo	rating the pr	ovisions of sect	on 6 of the Act end	closed: Yes/No
17.	Did y	ou earlier operated then furnish	any Private the name		ey or were its partn of the Agency	er, majority shareholder or Director? If y and its licence particulars.
18.		you a citizen of Indienship, please indica			ration/Naturalisation	n: If you have ever possessed any other
19.	Have	you at any time	been convi	icted by a cou	rt in India for an	ry criminal offence and sentenced to offence. (Attach copy of judgment)
20.		e any criminal proceer and offence	ceeding(s) pe	ending against y	ou before a court in	n India? If so, give name of court, case
21.	Self-	Declaration:				
			y me in this	form and enclos	ures is true and I ar	m solely responsible for accuracy.
						(Signature of applicant)
Date						
	;					
	osures:					
Lileit	osuics.					

(Signature of applicant)

Form III

(See rule 3(2) and 5(1))

Affidavit

I	S/o / D/o / W/o Mr./M	Is	resident of
is a Pı	roprietor/ Partner/ Director	of M/s	(Name of
firm/agency/company) at		(Address o	f firm/agency/company).
I do hereby solemnly affirm and declar	e as under:		

- 1. That the deponent is a citizen of India.
- 2. That the deponent has attained the age of 18 years.
- 3. That the details of the Proprietor/ Partners/ Directors (Please indicate the details of all the Partners/ Directors) are as under:

Serial	Name of the Proprietor/	Designations in the	Residential Address
Number	Partners/ Directors	firm/agency/company	
		(Proprietor/ Partner/	
		Director)	

- 4. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been convicted of any offence in connection with promotion, formation or management of a company (any fraud or misfeasance committed by him in relation to the firm/agency/company), including an undischarged insolvent.
- 5. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been convicted by a competent court for an offence, the prescribed punishment for which is imprisonment of not less than two years.
- 6. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been -
 - (a) keeping links with any organisation or association which is banned under any law on account of their activities which pose threat to national security or public order; or
 - (b) indulging in activities which are prejudicial to national security or public order.
- 7. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been dismissed or removed from Government service on grounds of misconduct or moral turpitude.
- 8. That the firm/agency/company is registered in India and does not have a proprietor or a majority shareholder, partner or director, who is not a citizen of India.
- 9. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company shall comply with the provisions of sub-section (2) of section 9 of the Act by ensuring availability/imparting of such training and skills to its private security guards and supervisors as prescribed.
- 10. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company shall fulfill the following conditions of licence as stipulated under section 11 of the Act.
 - (i) prescribed training which the licensee is to undergo;
 - (ii) details of the person or persons forming the agency;
 - (iii) obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority regarding any change in their address, change of management;
 - (iv) obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority about any criminal charge made against them in the course of their performance of duties of the private security agency or as the case may be, a private security guard employed or engaged by them.

- (v) Competent Authority may verify about imparting of required training by the private security agency under sub-section (2) of section 9 of the Act and may review continuation or otherwise of licence of the private security agency if the agency have not adhered to the condition of ensuring the required training.
- 11. That there are no cases registered with police or pending in court of law against the deponent.

Or

That there are cases registered with police or pending in court of law against the deponent. (Details shall be enclosed)

De	non	ent
$\mathbf{p}_{\mathbf{c}}$	נוטע	CIII

Verification:-

I,......(date) that the contents above of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein.

Deponent

Note: (i) Point No. 4 to 8 relates to compliance of section 6 of the Act.

- (ii) Point No. 9 relates to compliance of section 9(2) of the Act.
- (iii) Point No. 10 and 11 relates to compliance of section 11 of the Act.
- (iv) Strike the points which are not applicable.

From IV

(See rule 3(9))

GOVERNMENT OF HARYANA

Licence to engage in the business of Private Security Agency

Serial Number			
Date			
Name of the Private Security	Agency:		
	(name of the A		
(Full Address)	is gra	anted the licence by the	Controlling Officer for the State
	the business of Private Securit		
inapplicable words)	W	vith office at	(address of the office).
Place of Issue			
Date of issue			
This licence is valid up to			
		Signature	
		Name of gran	nting authority
		Designation	
		Official Addr	ress
	RENEW	'AL	
	(See rule :	5(4))	
Serial Number	Date of Renewal	Date	e of expiry
1.			
2.			
3.			
4.			
		Signature	
		Name of rene	ewing authority
		Designation	
		Official Addr	ress

Form V

 $(See\ rule\ 7(2))$

Form for verification of character and antecedents of

Security Guard and Supervisor

	For official use only	,							
	Form number	Character and	Character and antecedents verification issued by :						
Fee .	Amount Rs I	Cash /D.D Date of Issue		Name of	Bank				
	se fill in BLOCK LET								
info	rmation or suppression	of any factual info	rmation in						
	loyment /engagement in	-		1 (T)	.:_14 _11	1\			
1.	Name of applicant as s			•		· ·			
,	Last name If you have ever chang								
2.	II you have ever chang			•		ull			
3.	Sex (male/female)								
4.	Date of Birth (DD/MM								
5.	Aadhaar No								
6. Place of Birth: Village / Town									
	District								
7.	Father's Full Name/	Legal Guardian's F	ull Name	(including	surname,	if any):	(Initials	not al	lowed
8.	Mother's Full Name (i	ncluding surname, if	any): (Initia	ls not allov	wed)				
9.	If married, Full Name	of Spouse (including	surname, if	any). (Init	als not allov	ved)			
10.	Present Residential Ad	ldress, including Stree	et No. /polic	e station, v	village and D	District (wi	th PIN c	ode)	
						Tele	phone N	o./Mob	ile No
							•		
	Please give the date sin	nce residing at the abo	ove mention	ed address	: DD/MM/Y	YYY			
11.			. / 1'		lage and	District	(with	PIN	code)
	Permanent Address	including Street No	o/nonce s	tation vil				,	0000)
	Permanent Address	including Street No	o./police s	tation, vil	lage and	District			
11.12.13.	Permanent Address If you have not reside furnish the other addre	ed at the address give	en at COL	UMN (10)				years,	pleas

	Othe	r Details:													
	(a)	Education	nal Qualificat	ons:											
	(b)	Previous	posts held alo	ng with n	ame and	addres	ss of en	nploye	er:						
	(c)	Reason fo	or leaving last	employm											
	(d)	Visible D	istinguishing	Mark on	body:										
	(e)		ms):												
	(f)	Affidavit	incorporating	the provi	isions of	section	n 10 (1)	and (2) of t	he Act	encl	osed: Y	es/ No)	
5 .	Are y	ou working	g in Central G	overnmer	nt/ State (Govern	nment/	PSU/	Statuto	ry Boo	lies:	Yes/ No	0		
7.			n of India by: se indicate pr				ion/Nat	uralis 	ation:	If you	have	ever po	ossesso	ed any o	the
3.			ny time beer If so, give												
).		e any crimi per and offe	nal proceedir	g(s) pend		•					If so	, give n	ame o	f court,	case
).	Has a		sued a warra m India?		mons for , give				rant fo ourt,	or arres		an orde umber	er proh and	_	
1.	Self	Declaration	•												
	The i	nformation	given by me	in this for	m and er	nclosur	es is tr	ue and	I am	solemn	ly re	sponsib	ole for	accurac	у.
2.	Finge	er Prints:													
												(Sign	ature (of applic	ant)
ate _															
ace	sures:														

(Signature of applicant)

Form VI

(See rule 7(2))

Affidavit

	I
guard	//supervisor in the private security agency M/s (Name of firm/agency/company) at
	(Address of firm/agency/company). I do hereby solemnly affirm and declare as under:
1.	That I am a citizen of India.
2.	That I have attained the age of 18 years but have not attained the age of 65 years. My date of birth
	is
3.	That I have not been convicted by a competent court.
4.	That I have not been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any
	of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private
	security agency.
	Deponent
	Verification:-
	I,(date) that the above contents of
	this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed
	therein.
	Deponent

Note: The provisions of section 10(2) of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act, 29 of 2005) may be printed at the back of affidavit for awareness of deponent as follows:

"Section 10. Eligibility to be a private security guard.

(2) No person who has been convicted by a competent court or who has been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency shall be employed or engaged as a private security guard or a supervisor."

FORM VII

(See rule 7(6))

CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE

(This certificate is issued under the provisions incorporated in the rules of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005.)

given below has good moral character and reputa	, Son/Daughter of whose particulars are ation and that the applicant has been staying at the following
Date of Birth	
Place of Birth	
Educational Qualification:	
Profession:	
Present Address	
Permanent Address	
This certificate is issued on the basis of	(Source of certificate) and shall be valid upto a period of
five years from its date of issue.	
	Issuing Authority
	Issuing Authority Signature
	•
	Signature

Date of Issue

FORM VIII

(See rule 8(4))

	Training Ce	rtificate	
Serial number			
	Name of the Train	ning Agency	
	Address of the Tra	aining agency	
	Training Agency Recog	nition No	
	[The recognition of this agency is		(date)]
Certified that _	son/daughter of	resident of	has completed the prescribed
training for the engagem	nent or employment as a Private S	Security Guard/Super	visor confirming to National Skill
Qualification Framework	(NSQF) standards from till	·	
His signature is a	attested below.		
Signature of the O	Certificate Holder		
			Signature of issuing authority
			Designation
Place of issue			
Date of issue			

FORM IX

(See rule 11)

Form for Appeal

An Appeal	under section 14 of the	e Act		
Appellant _				
S/o	r/c	0	_	
			Versus	
Controlling	authority/			
The	above name	d appeal to the _	(State Home Secretary)	from the order of
(Controlling	Authority) dated	day of	and against refusal of License to	run Private Security
Agency	and sets forth the	following ground	ls of objection to the order appeal from n	amely
1.				
2.				
3.				
3. 4.				
Enclosed list of	documents			
				Signature
			Name and Design	ation of the Appellant.
Date			rume and Design	01 mo 12pp 31mm.
Place				

Form X

(See rule 12)

Register of Particulars

(Register A: Management details)

Serial	Name of	Parent's/	Present	Permanent	Nationality	Date of joining/leaving
number	person(s)	Father's	address	Address		the agency
	managing	name	and phone			
	the Agency		number			
1.						

(Register B: Private Security Guards and Supervisor)

Serial	Name of	Father's	Present	Date of	Permanent	Photo-	Finger	Employee	Salary with date,
number.	Guard/	name	address	Joining/	Address	graph	Prints	number	ESI, EPF numbers
	Supervisor		and	leaving					and Bank/Branch
			phone	the					through which
			number	Agency					paid.
1.									
2.									

(Register C: Customers)

Serial	Name of the	Address of	Number and	Date of	Date of
number	Customer and phone	the place	ranks of	commencement of	discontinuation of
	number.	where	Security	services	services
		Security is	Guards		
		provided	provided		

(Register D: Duty Roster)

Serial	Name of the	Address of	Whether provided	Date and time of	Date and time of
number	Private Security	the place of	with any	commencement of	ending of duty
	Guard /Supervisor	duty	arms/ammunition	duty	

Form XI

(See rule 13(1))

Photo Identity card for Private Security Guard/Supervisor

(Name of the Private Security Agency)

Identity Card No	Colour	
Name	Photo	
Official Designation		
Employee no		
Blood Group		
Date of issue		
Valid up to		
Signature of the cardholder		
Signature of the		
issuing authority with Official seal		
	[F. No]

RAJEEV ARORA, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Home Department.

9592—L.R.—H.G.P., Pkl.